



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 323]

नई दिल्ली, बुधस्तिवार, फरवरी 19, 2009/माघ 30, 1930

No. 323]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 19, 2009/MAGHA 30, 1930

ग्रामीण विकास मंत्रालय

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2009

New Delhi, the 19th February, 2009

का.आ. 513(अ).—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि यह करना आवश्यक एवं सम्योचित है, एतद्वारा कथित अधिनियम की अनुसूची-II में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है :—

S.O. 513(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government, on being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby makes the following further amendments in Schedule II to the said Act, namely :—

उक्त अनुसूची में पैरा 31 तथा 32 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाए :—

In the said Schedule, for paragraphs 31 and 32, the following paragraph shall be substituted, namely :—

“31. मजदूरी का भुगतान, केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसार कर्मियों के बैंकों या डाकघरों में खोले गए एकल या संयुक्त बचत खातों के माध्यम से किया जाएगा।”

“31. The payment of wages shall be made through the individual or joint saving accounts of the workers in the banks or post offices opened in accordance with the directions of the Central Government.”

32. हटा दिया जाए।

32. deleted.

[फा. सं. जे-11013/2/2008-एनआरईजीए]

[F.No. J-11013/2/2008-NREGA]

अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव

AMITA SHARMA, Jt. Secy.

टिप्पणी.—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की अनुसूची-II को निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं के माध्यम से संशोधित किया गया है :—

Note.—Schedule II to the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) has been amended vide following notification numbers :—

1. का.आ. 324(अ), दिनांक 6 मार्च, 2007
2. का.आ. 802(अ), दिनांक 2 अप्रैल, 2008
3. का.आ. 2188(अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2008
4. का.आ. 2999(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2008।

1. S.O. 324(E), dated 6th March, 2007.
2. S.O. 802(E), dated 2nd April, 2008.
3. S.O. 2188(E), dated 11th September, 2008.
4. S.O. 2999(E), dated 31st December, 2008.